

दिनांक


आदेश


आदेश पर की गई कार्रवाई

23/02/21

अभिलेख उपस्थापित । आम इश्तेहार का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ । राजस्व कर्मचारी, अंचल अमीन का जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त है । जाँच प्रतिवेदन के अनुसार मौजा-अधिसूचित क्षेत्र जमशेदपुर, वार्ड नं०-17, खाता नं०-37, प्लॉट नं०-49, रकवा 34.39 डिसमिल, खाता नं०-36, प्लॉट नं०-374, रकवा 59 डिसमिल भूमि हाल सर्वे खतियान के अनुसार माहिन्द्री गोडाईन, पति स्व० राधाकान्त गौड़ के नाम पर खतियान दर्ज है एवं खतियान के कैफियत कॉलम में काबिल लगान कायमी दर्ज है । आवेदित भूमि के खतियानी रैयत का मृत्यु हो चुका है । खतियानी रैयत के मृत्यु के पश्चात उनके चार पुत्र श्री बाना गोप, नुनु गोप, चुनु गोप एवं कुलमनी गोप द्वारा उत्तराधिकारी लगान निर्धारण हेतु आवेदन किया गया है । आवेदक द्वारा माता एवं पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र तथा वंशावली शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया जो संलग्न है । स्थानीय जाँच के क्रम में आवेदित भूमि पर आवेदक का चहारदिवारी के रूप में दखल कब्जा पाया गया । अंचल अमीन द्वारा तैयार ट्रेस नक्शा तीन प्रति में संलग्न है । आवेदित भूमि साविक सर्वे के अनुसार मौजा-मोहरदा, थाना नं०-1200, खाता नं०-8 अन्तर्गत खतियानी रैयत दिनबन्धु गौड़, पिता शिवा गौड़ के नाम संधारित है एवं हाल सर्वे खतियानी रैयत माहिन्द्री गोडाईन दिनबन्धु गौड़ की एक मात्र पुत्री थी । संबंधित राजस्व कर्मचारी एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक ने मौजा-अधिसूचित क्षेत्र जमशेदपुर, वार्ड नं०-17, खाता नं०-37, प्लॉट नं०-49, रकवा 34.39 डिसमिल, खाता नं०-36, प्लॉट नं०-374, रकवा 59 डिसमिल भूमि का 20/- रू० प्रति डिसमिल अलावे सेस वर्ष 1995-96 से वसूली हेतु बाना गोप, नुनु गोप, चुनु गोप, कुलोमनी गोप, सा०-मोहरदा के नाम पर लगान निर्धारण हेतु अनुशंसा किया गया है । तदनुसार लगान निर्धारण हेतु अनुशंसा की जाती है ।

अतः अभिलेख अग्रतर कार्रवाई हेतु भूमि सुधार उप समाहर्ता, धालभूम, जमशेदपुर को भेजे ।
लेखापित एवं संशोधित


अंचल अधिकारी
जमशेदपुर


अंचल अधिकारी
जमशेदपुर

